न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 224/2022

अनवान : –

1. अश्वनि उम्र 11 वर्ष पुत्र विनोद पुत्र इन्द्राज जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मन्जु पत्नी विनोद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र हेमा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजवन्त पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सुरेश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सिलो पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सुनिता पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक उप तहसील फेफाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 11/02/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 21/18 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 137/8 की कुल 2.8340 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व मे सायल के पड़दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके पुत्रगणों पर औद हुई ओर अप्रार्थी स0 1 के नाम उपरोक्तानुसार भूमि दर्ज हुई। अप्रार्थी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अप्रार्थी स0 1 के नाम भूमि दर्ज हुई है। कृषि भूमि पैतृक होने के कारण सायला का उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। भूमि गैरसायल स0 1 के अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करने पर उतारू है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थी स0 1 के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थी उक्त भूमि को रहन, बैय न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 5 ए बारानीं तहसील नोहर के खाता स0 21/18 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 137/8 की कुल 2.8340 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से सायल के हक हिस्साा के भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 उपस्थित शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के बाद भ्झी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल स0 1 के पिता हेमा पुत्र बुधराम के नाम दर्ज भूमि थी जो की गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज हुई। गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि बाबत न्यायालय हाजा में सन 2016 में पेश किया और उक्त वाद दिनांक 20.06.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया और उक्त डिक्री की पालना में गैरसायल स0 1 ता 4 के नाम भूमि दर्ज हुई। उक्त भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही है सायल द्वारा पिता विनोद के नाम दर्ज भूमि में से हिस्सा लेने हेतु न्यायालय में वाद पेश किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र गैरसायल स0 1 को परेशान करने के लिए पेश किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि बाबत पूर्व में भी न्यायालय हाजा में एक वाद स0 48/2016 पेश किया गया था जो की न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2016 को डिक्री किया गया जिसमें गैरसायल स0 1 ता 4 के नाम भूमि दर्ज हुई है। यानि की गैरसायल स0 2 को पैतृक भूमि में से हक हिस्सा दिया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है जब प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो गया है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 28.09.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:14 IST
Reason: SelfAttested